

सारण समाहरणालय, छपरा
Saran Collectorate, Chapra
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 383 दिनांक 07/10/2021 E-mail :- adschapra@gmail.com

प्रेषक,

वरीय उप समाहर्ता
-सह-
प्रभारी सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,
सारण, छपरा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

विषय-

जिला बुनियाद केन्द्र, सारण, छपरा में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था हेतु निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला बुनियाद केन्द्र, सारण, छपरा में सुरक्षा गार्ड के चयन हेतु निविदा प्रारूप तीन प्रति (हार्ड कॉपी) एवं सीडी0 सहित प्रकाशन हेतु भेजा जा रहा है।
अनुलग्नक:- यथोपरि।

विश्वासभाजन

वरीय उप समाहर्ता

-सह-

प्रभारी सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 383/छपरा दिनांक 07/10/2021

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित। अबुरोध है कि निविदा प्रारूप का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सारण को सूचनार्थ प्रेषित।
पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता

-सह-

प्रभारी सहायक निदेशक,
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
सारण, छपरा।

07/10/2021

जिला प्रबन्धक
जिला कार्यक्रम प्रबंधन ईकाइ
सारण

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर
जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सारण
जिला- सारण

प्रारूप

पता:- सदर ब्लॉक कैंपस, नियर- भिखारी ठाकुर चौक, दुग्ध शीतलीकरण केंद्र के सामने, सारण, छपरा- 841301
फोन:- 06152 295188, ई-मेल:- dpmu_saran@ssupsw.in


सिक्यूरिटी गार्ड की आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रण


सारण जिला अंतर्गत 03 बुनियाद केन्द्रों में आउटसोर्स के तहत सिक्यूरिटी गार्ड की आपूर्ति हेतु योग्य एवं अनुभवी एजेंसियों से सील बंद निविदाएं आमंत्रित करता है। पात्रता मानदंड, नियम और शर्तों आदि के बारे में विवरण वेबसाइट www.ssupsw.in से डाउनलोड किया जा सकता है या उपरोक्त पते पर कार्यालय से कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

निविदा दो अलग-अलग सिल बंद लिफाफे (1) तकनीकी निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा को एक बड़े लिफाफे में सिल बंद कर उसके उपर "सिक्यूरिटी गार्ड हेतु निविदा" लिख कर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सारण के पता: सदर ब्लॉक कैंपस, नियर- भिखारी ठाकुर चौक, दुग्ध शीतलीकरण केंद्र के सामने, सारण, छपरा- 841301 पर अंतिम तिथि 29.10.2021 समय 12:30 अपराह्न को या उससे पहले तक स्पीड पोस्ट/कूरियर के माध्यम से जमा की जानी चाहिए।

निविदाएं खोलने की तिथि और समय: 29/10/2021, 03:00 अपराह्न जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सारण कार्यालय।

जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सारण बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर निविदा या इसकी प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।


07/10/21
जिला प्रबंधक
जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई
सारण


सहायक निदेशक
जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग
सारण, छपरा।

तकनीकी निविदा हेतु अनिवार्य शर्तें:-


1. निविदादाता एजेंसी दुकान एवं स्थापना अधिनियम/ साझेदारी अधिनियम/ कंपनी अधिनियम के तहत निविदा प्रकाशन के तिथि से तीन वर्ष पूर्व से निबंधित होना चाहिए। निबंधन के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता एजेंसी का गत तीन वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 का औसत टर्न ओवर रु. 5,00,000/- (पाँच लाख) होना चाहिए। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के टर्न ओवर/आय-व्यय का चार्टर्ड एकाउंटेंट से ऑडिटेड रिपोर्ट की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदादाता के द्वारा विगत तीन वर्षों में किसी सरकारी विभाग/ संस्थान या प्राइवेट फर्म से कम-से-कम 10 सिक्यूरिटी गार्ड या अन्य प्रकार के मानवबल (मजदूर, सफाईकर्मी को छोड़कर, उपलब्ध कराने का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि के द्वारा निबंधित होने के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
5. संबंधित संस्था का पैन कार्ड, विगत 03 वर्षों का अद्यतन आयकर प्रमाण-पत्र की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता के द्वारा संस्थान की जी0एस0टी0 निबंधन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. संस्थान के द्वारा ई.एम.डी. के रूप में राशि रु0-5,000/- (पाँच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट "एस.एस.यू.पी.एस.डब्लू., बिहार" के नाम से देय एवं पटना में भुगतये होगा। निविदा के साथ संस्थान के द्वारा बैंक ड्राफ्ट नहीं जमा करने पर निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। असफल निविदादाताओं का बैंक ड्राफ्ट जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई द्वारा वापस कर दिया जायेगा।
8. जाँच के उपरांत दिए गए कागजात में फेरबदल, जालसाजी एवं धोखाधड़ी प्रमाणित होने पर कालीसूची में डालते हुए उनके विरुद्ध नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
9. भारत सरकार/ बिहार सरकार के संस्थान द्वारा वर्तमान/भविष्य में किए गए कार्यों में काली सूची में नाम नहीं दर्ज होने संबंधी शपथ-पत्र की मूलप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा में दिए गए प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति स्वअभिप्रमाणित होनी चाहिए।

वित्तीय निविदा हेतु अनिवार्य शर्तें:-

1. "वित्तीय निविदा" इस निविदा दस्तावेज में संलग्न "वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित प्रारूप" में ही स्वीकार किया जायेगा।
2. वित्तीय निविदा में सेवा दर दशमलव के बाद के अंकों में भी भरा गया हो तो वह दशमलव के बाद के अधिकतम दो अंकों तक ही होनी चाहिए।
3. एक से अधिक निविदादाता का L1 दर (सेवा दर) एक समान रहने पर उपस्थित निविदादाताओं के सामने लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा।

निविदा हेतु अन्य शर्तें:-

1. तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदा का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
2. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई/बुनियाद केंद्र द्वारा सुरक्षा गार्ड को मानदेय के हस्तांतरण के लिए निधि की अस्थायी अनुपलब्धता की स्थिति में तैनात सुरक्षा गार्ड का मानदेय भुगतान करने के लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा और सेवा प्रदाता द्वारा हस्तांतरित राशि की प्रतिपूर्ति जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई/बुनियाद केंद्र द्वारा सेवा प्रदाता को कर दी जाएगी।



3. सेवा प्रदाता आउटसोर्स कामगारों (सुरक्षा गार्ड) के प्रति बिहार सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार रोस्टर का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
4. बिहार सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के कारण कर्मियों (सुरक्षा गार्ड) के वेतन में वृद्धि को बुनियाद केंद्र द्वारा सम्मिलित/ निगमित किया जाएगा।
5. सेवा प्रदाता पूर्णकालिक सुरक्षा पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें तैनात सुरक्षा गार्ड के नियंत्रण और उचित दैनिक / मासिक / त्रैमासिक रिपोर्ट आदि की निगरानी भी शामिल होगा।
6. सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड को "सक्षम" / बुनियाद केंद्र या इसकी किसी भी परियोजना में किसी भी नियुक्ति का कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।
7. सेवा प्रदाता पीएफ और ईएसआई योगदान (कर्मचारी + नियोक्ता) अपनी फर्म के पीएफ और ईएसआईसी नंबर का उपयोग करके जमा करेगी। और गत महीने के चालान की प्रति बिल के साथ बुनियाद केंद्र में जमा करेगा, अर्थात् फरवरी महीने के बिल के साथ जनवरी महीने का चालान की प्रति बुनियाद केंद्र में जमा किया जाएगा।
8. सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा गार्डों को संलग्न अनुलग्नक 1 के अनुसार या बुनियाद केंद्र की आवश्यकता के अनुसार जिला/ अनुमंडल स्तरीय बुनियाद केंद्र पर तैनात किया जाएगा।
9. सेवा प्रदाता को भुगतान जारी करने का तरीका :
 - (क) वास्तविक संख्या में तैनात सुरक्षा गार्डों का शुद्ध वेतन (ईपीएफ, ईएसआई और अन्य वैधानिक दायित्वों को छोड़कर) उपस्थिति और वेतन भाग के विवरण यानि वेतन, ईपीएफ, ईएसआई आदि को बुनियाद केंद्र नोडल अधिकारी से उचित प्रमाणीकरण होने पर सीधे कर्मचारियों के खाते में सेवा प्रदाता द्वारा आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से मासिक रूप से हस्तांतरित किया जायेगा।
 - (ख) सेवा प्रदाता द्वारा विपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत, वास्तविक संख्या में तैनात सुरक्षा गार्डों अनुपस्थिति के आधार पर) वेतन, ईपीएफ, ईएसआई, सेवा शुल्क और जीएसटी लागू टीडीएस कटौती उपरांत सेवा प्रदाता के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
10. न्यूनतम मजदूरी बिहार सरकार के अनुसार लागू होगी और पीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई और पीएफ प्रशासनिक शुल्क लागू प्रावधानों/नियमों के अनुसार लागू होगी।
11. कार्य निष्पादन की तिमाही समीक्षा की जाएगी और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
12. सेवा प्रदाता या तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा कोई भी गैरकानूनी गतिविधि अनुबंध की समाप्ति को आमंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है।
13. अनुबंध शुरू में एक वर्ष के लिए होगा और संतोषप्रद सेवा रहने पर इसे अगले वर्ष के लिए अनुबंध के पुरस्कार की तारीख से अधिकतम 3 (तीन) वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
14. सेवा प्रदाता सुरक्षा गार्ड को मानदेय के भुगतान के लिए आवश्यक गतिविधियों और पीएफ, ईएसआई आदि से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
15. सुरक्षा गार्ड के किसी भी कदाचार के लिए सेवा प्रदाता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
16. यदि सेवा प्रदाता उचित परिश्रम या अभियान के साथ कार्य को निष्पादित करने में विफल रहता है या अनुबंध के दायरे में "सक्षम" / डीपीएमयू या बुनियाद केंद्र की ओर से लिखित रूप में उसे दिए गए किसी भी आदेश का पालन करने से इंकार या उपेक्षा करेगा या अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या प्रदान की गई सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सेवा प्रदाता को एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबंध को समाप्त कर सकता है। इस तरह की नोटिस या तो हाथ से वितरण या डाक के माध्यम से

Bhanu

अनुबंध में दिए गए पते पर भेजा जा सकता है। इसे सेवा प्रदाता पर तामील माना जाएगा। इस मामले में असंतोषजनक सेवाओं में तैनात सुरक्षा गार्डों की लगातार अनुपस्थिति या खराब उपस्थिति, प्रतिस्थापन प्रदान करने में असमर्थता, उदासीन कार्य, तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा अभद्र व्यवहार, परिसर में अनुशासनहीनता (जिसमें शराब लेना, अभद्र भाषा का उपयोग करना, आपत्तिजनक गतिविधियों या अनुबंध के प्रावधानों का कोई अन्य गैर-अनुपालन होना आदि शामिल है)। बाल व्यक्ति को रखने का सख्ती से अनुमति नहीं है और इसके परिणामस्वरूप अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

17. सेवा प्रदाता सुरक्षा गार्डों (निहत्थे) की ड्यूटी के लिए आवश्यक सामान यथा पोषाक, लाठी, सिटी, टॉर्च, स्मार्ट फोन, परिचय पत्र आदि सुरक्षा गार्डों को उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अलग से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
18. जाँच के दौरान सुरक्षा गार्ड निर्धारित पोषाक में नहीं रहने पर प्रति सुरक्षा गार्ड 500 (पाँच सौ) रुपये विपत्र से कटौती उक्त महिने में की जाएगी।
19. सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा गार्ड की 24*7 सेवाएं प्रदान किया जाएगा।
20. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से एजेंसी के पेरोल पर होंगे।
21. सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किए गए सुरक्षा गार्ड केवल सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध अवधि के दौरान काम करेंगे, और अनुबंध अवधि के बाद सेवा जारी रखने के लिए तैनात सुरक्षा गार्डों द्वारा आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त विषय पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का निर्णय अंतिम होगा।
22. बुनियाद केंद्र की आवश्यकता के अनुरूप कार्य पर लिए जाने वाले सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़/घट या हटाई जा सकती है।
23. सेवा प्रदाता बुनियाद केंद्र में पहले से तैनात सुरक्षा गार्ड को पात्रता, अनुभव और प्रदर्शन से समझौता किए बिना वरीयता दे सकती है।
24. सेवा प्रदाता किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।
25. किसी भी घटना की स्थिति में सेवा प्रदाता को सुरक्षा गार्ड के प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी सुरक्षा गार्ड जो सक्षम या अनुशासित नहीं पाया जाता है को हटाने के लिए एजेंसी से पूछने का अधिकार जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई/बुनियाद केंद्र को होगा।
26. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं चयनित सुरक्षा एजेंसी के आपसी सहमति के द्वारा एकरारनामा प्रारूप निर्धारित की जायेगी। जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।
27. चयनित एजेंसी द्वारा एक वर्ष हेतु कुल निविदा मूल्य की राशि का 5 (पाँच) प्रतिशत का बैंक ड्रॉफ्ट या बैंक गारंटी (कम-से-कम 15 माह की मियाद का) "एस.एस.यू.पी.एस.डब्ल्यू., बिहार" के नाम से देय एवं पटना में भुगतये, एकरारनामा करने से पूर्व जमा करना होगा।
28. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बिना कोई कारण बताए एक महीने का लिखित नोटिस देने के साथ अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
29. नियोक्ता और सेवा प्रदाता के पारस्परिक अधिकार और दायित्व अनुबंध में निर्धारित अनुसार होंगे, विशेष रूप से;

(क) सेवा प्रदाता अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं को पूरा करेगा तथा

(ख) नियोक्ता अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवा प्रदाता को भुगतान करेगा।

30. किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद-विवाद निष्पादन का अधिकार स्थानीय न्यायालय स्तर पर की जायेगी।

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर
जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सारण
जिला- सारण

अनुसूची-1

बुनियाद केन्द्रों एवं सिक्यूरिटी गार्ड की संख्या का विवरण

क.सं.	बुनियाद केन्द्र का नाम	बुनियाद केन्द्र का पता	सिक्यूरिटी गार्ड (अर्धकुशल) की संख्या
1	बुनियाद केन्द्र, सारण	सदर ब्लॉक कैम्पस, नियर- भिखारी ठाकुर चौक, दुग्ध शीतलीकरण केंद्र के सामने, सारण, छपरा- 841301	3
2	बुनियाद केन्द्र, दिघवारा	दिघवारा ब्लॉक के पीछे	3
3	बुनियाद केन्द्र, मढौरा	मढौरा ब्लॉक के पीछे	3
सिक्यूरिटी गार्ड की कुल संख्या			9

Handwritten signature

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर
जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, सारण
जिला- सारण

वित्तीय निविदा हेतु निर्धारित प्रारूप

विवरण		अभ्युक्ति
सेवा प्रदाता द्वारा प्रशासन, प्रबंधन, रखरखाव, कार्यालय और अन्य सभी ओवरहेड्स के लिए "कुल अनुमानित लागत का सेवा दर (प्रतिशत में)"प्रतिशत (शब्दों में.....प्रतिशत)	सेवा प्रदाता/एजेंसी द्वारा भरा जायेगा
जीएसटी अतिरिक्त	18 प्रतिशत	

वित्तीय निविदा हेतु अनिवार्य शर्तें:-

1. वित्तीय निविदा में सेवा दर दशमलव के बाद के अंकों में भी भरा गया हो तो वह दशमलव के बाद के अधिकतम दो अंकों तक ही होनी चाहिए।
2. एक से अधिक निविदादाता का L1 दर (सेवा दर) एक समान रहने पर उपस्थित निविदादाताओं के सामने लॉटरी के माध्यम से निर्णय लिया जायेगा।

[Handwritten Signature]
07/10/21

[Handwritten Signature]
निविदादाता का अधिकारी
-सह-
निधि: सहायक निदेशक
जिला सारणिक सुखा बंधन
सारण, उत्तर प्रदेश
मुहर

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक : _____ माह _____ वर्ष _____ को निम्नलिखित दो पक्षों के बीच सिक्क्योरिटी गार्ड की सेवा हेतु किया जाता है:-

1. स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एन्ड सोशल वेलफेयर, जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई..... पता: _____ जिला (एक निबंधित संस्था जो स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पुअर एन्ड सोशल वेलफेयर, ब्रांड नाम "सक्षम" समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्थापित, सम्पोषित एवं नियंत्रित है का जिला इकाई है) जिसे इस अनुबंध में नियोक्ता के नाम से जाना जायेगा।

एवं

2. मेसर्स पता: _____ पिन कोड _____ (दुकान एवं स्थापना अधिनियम/साझेदारी अधिनियम /कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है) जिसे सेवा प्रदाता के नाम से जाना जायेगा।

जबकि

(ए) नियोक्ता ने दिनांक _____ को प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में सेवा प्रदाता से सेवाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है। सामाजिक देखभाल सेवा केंद्र (बुनियाद) और मोबाइल आउटरीच और थेरेपी वैन के लिए बुनियाद केंद्र पर सहयोग करने के लिए सुरक्षा गार्ड आपूर्ति एजेंसी (सेवा प्रदाता) अनुबंध की सामान्य शर्तों में परिभाषित है।

(बी) सेवा प्रदाता, ने नियोक्ता को प्रतिनिधित्व किया है कि उनके पास आवश्यक पेशेवर कौशल है, और कर्मियों और तकनीकी संसाधनों ने इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों पर सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। सेवा प्रदाता को वास्तविक रूप से तैनात सुरक्षा गार्ड की वास्तविक संख्या और भुगतान पर प्रशासन, प्रबंधन, रखरखाव कार्यालय और अन्य सभी उपरिव्यय के लिए कुल लागत के रूप में सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात सुरक्षा गार्ड (अर्ध कुशल) को भुगतान किए गए सकल परिलब्धियों /मानदेय काप्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा।

निम्नलिखित तालिका आवश्यक सुरक्षा गार्ड के मानदेय की गणना का अनुमान प्रदान करती है:-

विवरण	राशि रुपये में
1 वर्ष के लिए न्यूनतम मजदूरी की अनुमानित लागत (पी.एफ., ई.एस.आई, बोनस आदि सहित) (अनुसूची-1 के अनुरूप सिक्क्योरिटी गार्ड की संख्या के अनुरूप)	
सेवा प्रदाता द्वारा प्रशासन, प्रबंधन, रखरखाव, कार्यालय और अन्य सभी ओवरहेड्स के लिए "कुल अनुमानित लागत का सेवा दर प्रतिशत की दर" से राशि	
जीएसटी : 18 प्रतिशत	
कुल राशि	

सरकार द्वारा समय - समय पर तय की गई जीएसटी दर लागू होगी।



सरकार के अधिनियमों/नियमों के अनुसार लागू करों का भुगतान/प्रतिपूर्ति/कटौती की जाएगी।

उपरोक्त गणनाओं के आधार पर इस अनुबंध को राशि की उच्चतम सीमा रु..... (कर सहित) प्रदान की गई है।

सेवा शुल्क के रूप मेंप्रतिषतकी दर से भुगतान (प्रशासन, प्रबंधन, कार्यालय रखरखाव और अन्य सभी ओवरहेड्स के लिए लागत) कर्मचारियों को हस्तांतरित वेतन के चालान और बैंक विवरण के अनुसार तैनात और प्रतिपूर्ति किए गए कर्मचारियों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाएगा।

इसलिए अब इसके पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं:-

1. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई/बुनियाद केंद्र द्वारा सुरक्षा गार्ड को मानदेय के हस्तांतरण के लिए निधि की अस्थायी अनुपलब्धता की स्थिति में तैनात सुरक्षा गार्ड का मानदेय भुगतान करने के लिए सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा और सेवा प्रदाता द्वारा हस्तांतरित राशि की प्रतिपूर्ति जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई/बुनियाद केंद्र द्वारा सेवा प्रदाता को कर दी जाएगी।
2. सेवा प्रदाता आउटसोर्स कामगारों (सुरक्षा गार्ड) के प्रति बिहार सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार रोस्टर का पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
3. बिहार सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में संशोधन के कारण कर्मियों (सुरक्षा गार्ड) के वेतन में वृद्धि को बुनियाद केंद्र द्वारा सम्मिलित/निगमित किया जाएगा।
4. सेवा प्रदाता पूर्णकालिक सुरक्षा पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होगा जिसमें तैनात सुरक्षा गार्ड के नियंत्रण और उचित दैनिक / मासिक / त्रैमासिक रिपोर्ट आदि की निगरानी भी शामिल होगा।
5. सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड को "सक्षम" / बुनियाद केंद्र या इसकी किसी भी परियोजना में किसी भी नियुक्ति का कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।
6. सेवा प्रदाता पीएफ और ईएसआई योगदान (कर्मचारी + नियोक्ता) अपनी फर्म के पीएफ और ईएसआईसी नंबर का उपयोग करके जमा करेगी। और गत महीने के चालान की प्रति बिल के साथ बुनियाद केंद्र में जमा करेगा, अर्थात् फरवरी महीने के बिल के साथ जनवरी महीने का चालान की प्रति बुनियाद केंद्र में जमा किया जाएगा।
7. सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा गार्डों को संलग्न अनुलग्नक 1 के अनुसार या बुनियाद केंद्र की आवश्यकता के अनुसार जिला/ अनुमंडल स्तरीय बुनियाद केंद्र पर तैनात किया जाएगा।
8. सेवा प्रदाता को भुगतान जारी करने का तरीका :

(क) वास्तविक संख्या में तैनात सुरक्षा गार्डों का शुद्ध वेतन (ईपीएफ, ईएसआई और अन्य वैधानिक दायित्वों को छोड़कर) उपस्थिति और वेतन भाग के विवरण यानि वेतन, ईपीएफ, ईएसआई आदि को बुनियाद केंद्र नोडल अधिकारी से उचित प्रमाणीकरण होने पर सीधे कर्मचारियों के खाते में सेवा प्रदाता द्वारा आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से मासिक रूप से हस्तांतरित किया जायेगा।

(ख) सेवा प्रदाता द्वारा विपत्र प्रस्तुत करने के उपरांत, वास्तविक संख्या में तैनात सुरक्षा गार्डों अनुपस्थिति के आधार पर) वेतन, ईपीएफ, ईएसआई, सेवा शुल्क और जीएसटी लागू टीडीएस कटौती उपरांत सेवा प्रदाता के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

9. न्यूनतम मजदूरी बिहार सरकार के अनुसार लागू होगी और पीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई और पीएफ प्रशासनिक शुल्क लागू प्रावधानों/नियमों के अनुसार लागू होगी।

10. कार्य निष्पादन की तिमाही समीक्षा की जाएगी और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

11. सेवा प्रदाता या तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा कोई भी गैरकानूनी गतिविधि अनुबंध की समाप्ति को आमंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है।
12. अनुबंध शुरू में एक वर्ष के लिए होगा और संतोषप्रद सेवा रहने पर इसे अगले वर्ष के लिए अनुबंध के पुरस्कार की तारीख से अधिकतम 3 (तीन) वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
13. सेवा प्रदाता सुरक्षा गार्ड को मानदेय के भुगतान के लिए आवश्यक गतिविधियों और पीएफ, ईएसआई आदि से संबंधित सभी वैधानिक अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा।
14. सुरक्षा गार्ड के किसी भी कदाचार के लिए सेवा प्रदाता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
15. यदि सेवा प्रदाता उचित परिश्रम या अभियान के साथ कार्य को निष्पादित करने में विफल रहता है या अनुबंध के दायरे में "सक्षम" / डीपीएमयू या बुनियाद केंद्र की ओर से लिखित रूप में उसे दिए गए किसी भी आदेश का पालन करने से इंकार या उपेक्षा करेगा या अनुबंध के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा या प्रदान की गई सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई सेवा प्रदाता को एक महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अनुबंध को समाप्त कर सकता है। इस तरह की नोटिस या तो हाथ से वितरण या डाक के माध्यम से अनुबंध में दिए गए पते पर भेजा जा सकता है। इसे सेवा प्रदाता पर तामील माना जाएगा। इस मामले में असंतोषजनक सेवाओं में तैनात सुरक्षा गार्डों की लगातार अनुपस्थिति या खराब उपस्थिति, प्रतिस्थापन प्रदान करने में असमर्थता, उदासीन कार्य, तैनात सुरक्षा गार्ड द्वारा अभद्र व्यवहार, परिसर में अनुशासनहीनता (जिसमें शराब लेना, अभद्र भाषा का उपयोग करना, आपत्तिजनक गतिविधियों या अनुबंध के प्रावधानों का कोई अन्य गैर-अनुपालन होना आदि शामिल हैं)। बाल व्यक्ति को रखने का सख्ती से अनुमति नहीं है और इसके परिणामस्वरूप अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।
16. सेवा प्रदाता सुरक्षा गार्डों (निहत्थे) की ड्यूटी के लिए आवश्यक सामान यथा पोषाक, लाठी, सिटी, टॉर्च, स्मार्ट फोन, परिचय पत्र आदि सुरक्षा गार्डों को उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अलग से कोई राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
17. जाँच के दौरान सुरक्षा गार्ड निर्धारित पोषाक में नहीं रहने पर प्रति सुरक्षा गार्ड 500 (पाँच सौ) रुपये विपत्र से कटौती उक्त महीने में की जाएगी।
18. सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा गार्ड की 24*7 सेवाएं प्रदान किया जाएगा।
19. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात सुरक्षा गार्ड पूरी तरह से एजेंसी के पेरोल पर होंगे।
20. सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किए गए सुरक्षा गार्ड केवल सेवा प्रदाता के साथ अनुबंध अवधि के दौरान काम करेंगे, और अनुबंध अवधि के बाद सेवा जारी रखने के लिए तैनात सुरक्षा गार्डों द्वारा आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त विषय पर जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का निर्णय अंतिम होगा।
21. बुनियाद केंद्र की आवश्यकता के अनुरूप कार्य पर लिए जाने वाले सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़/घट या हटाई जा सकती है।
22. सेवा प्रदाता बुनियाद केंद्र में पहले से तैनात सुरक्षा गार्ड को पात्रता, अनुभव और प्रदर्शन से समझौता किए बिना वरीयता दे सकती है।
23. सेवा प्रदाता किसी भी कानूनी मुद्दे के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगा।
24. किसी भी घटना की स्थिति में सेवा प्रदाता को सुरक्षा गार्ड के प्रतिस्थापन की व्यवस्था करनी होगी। किसी भी सुरक्षा गार्ड जो सक्षम या अनुशासित नहीं पाया जाता है को हटाने के लिए एजेंसी से पूछने का अधिकार जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई/बुनियाद केंद्र को होगा।
25. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं चयनित सुरक्षा एजेंसी के आपसी सहमति के द्वारा एकरारनामा प्रारूप निर्धारित की जायेगी। जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई का निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

26. जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बिना कोई कारण बताए एक महीने का लिखित नोटिस देने के साथ अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
27. नियोक्ता और सेवा प्रदाता के पारस्परिक अधिकार और दायित्व अनुबंध में निर्धारित अनुसार होंगे, विशेष रूप से;
- (क) सेवा प्रदाता अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं को पूरा करेगा तथा
- (ख) नियोक्ता अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार सेवा प्रदाता को भुगतान करेगा।
28. किसी भी प्रकार के न्यायिक वाद-विवाद निष्पादन का अधिकार स्थानीय न्यायालय स्तर पर की जायेगी।

इसके साक्ष्य में, इसके पक्षकारों ने ऊपर लिखे दिन और वर्ष के अनुसार इस अनुबंध पर अपने-अपने नाम से हस्ताक्षर करवाए हैं।

नियोक्ता के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षरित:

पद:

साक्षी:

सेवा प्रदाता के लिए और उसकी ओर से

हस्ताक्षरित:

पद:

साक्षी:

BP

अनुलग्नक 1

संदर्भ के लिए नीचे दी गई तालिका में सुरक्षा गार्डों की संख्या और श्रेणियों का विवरण दिया गया है:

क्र.सं.	बुनियाद केन्द्र का नाम	बुनियाद केन्द्र का पता	सिक्क्यूरिटी गार्ड (अर्धकुशल) की संख्या
1	बुनियाद केन्द्र, सारण	सदर ब्लॉक कैंपस, नियर- भिखारी ठाकुर चौक, दुग्ध शीतलीकरण केंद्र के सामने, सारण, छपरा- 841301	3
2	बुनियाद केन्द्र, दिघवारा	दिघवारा ब्लॉक के पीछे	3
3	बुनियाद केन्द्र, मढौरा	मढौरा ब्लॉक के पीछे	3
सिक्क्यूरिटी गार्ड की कुल संख्या			9

